सिविल प्रक्रिया संहिता,1908

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range – Part & Order wise	4-5
2.	Prelims MCQs	6-100
3.	Mains Questions	101-196
4.	Interview Questions	197-210

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

अनुक्रमणिका		
1.	**CPC Range (Part Wise)**	**Sections**
-	प्रारंभिक	1-8
I.	साधारणतः वाद के विषय में	9-35B
II.	निष्पादन	36-74
III.	आनुषंगिक कार्यवाही	75-78
IV	विशिष्ट मामलों में वाद	79-88
V.	विशेष कार्यवाहियां	89-93
VI.	अनुपूरक कार्यवाहियां	94-95
VII.	अपील	96-112
VIII.	निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण	113-115
IX.	उच्च न्यायालयों से संबंधित विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं हैं	116-120
X.	नियम	121-131
XI.	प्रकीर्ण	132-158
2.	**CPC Range (Order Wise)**	**Rules**
I.	वादों के पक्षकार	13
II.	वाद की विरचना	7
III.	मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर	6
IV	वादों का संस्थित किया जाना	2
V.	समन का निकला जाना और उनकी तामील करना	30
VI.	अभिवचन साधारणतः	18
VII.	वादपत्र	17
VIII.	लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा	10
IX.	पक्षों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम	14
X.	न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा	4
XI.	प्रकटिकरण और निरीक्षण	23
XII.	स्वीकृतियाँ	9
XIII.	दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना	11
XIV.	विवाद्कों का स्थिरीकरण और विधि विवाद्कों के आधार पर या सहमत विवाद्कों पर वाद का अवधारण	7
XV.	प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा	4
XVI.	साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी	21
XVIA.	कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी	7
XVII.	स्थगन	3
XVIII.	वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा	19
XIX.	शपथपत्र	3

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

प्रारंभिक

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (46 of 1999) कब प्रवर्तन में आया ?
(a) 1 January, 2002 (b) 1 July, 2002
(c) 1 January, 2003 (d) 1 July, 2003
[UK PSC(J) 2023]

Ans [b]
स्पष्टीकरण:- सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 1 जुलाई, 2002 को लागू हुआ था।

2. 'म्यूटेटिस म्यूटेन्डिस' का क्या अर्थ है ?
(a) आपसी सहमति
(b) जैसा है जहाँ है
(c) परस्पर समावेशी
(d) आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू करें
[UK PSC(J) 2023]

Ans [d]
स्पष्टीकरण:- 'आवश्यक परिवर्तनों सहित' का अर्थ है 'सभी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं' या 'आवश्यक परिवर्तनों के साथ'। वाक्यांश यथोचित परिवर्तन यह इंगित करता है कि यद्यपि विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है, मुख्य बिंदु वही रहता है।

3. नीचे दिये गये विकल्पों में विधिक प्रतिनिधि के बारे में क्या सत्य नहीं है?
(a) एक व्यक्ति जो विधि में एक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है ।
(b) कोई भी व्यक्ति जो एक मृतक की सम्पत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है ।
(c) एक व्यक्ति जिस पर मुकदमा करने या मुकदमा करने वाले पक्ष की मृत्यु होने पर सम्पत्ति न्यायगत होती है ।
(d) यह शब्द केवल निष्पादकों तक सीमित है और इसमें प्रशासक शामिल नहीं है ।
[UK PSC(J) 2023]

Ans [d]
लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 11, स्पष्टीकरण VI – रेस ज्युडिकेटा (प्राड् न्याय) प्रतिनिधि वाद पर लागू होती है।
2. धारा 50 – विधिक प्रतिनिधि।
3. आदेश 1, नियम 8 – प्रतिनिधि वाद।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(11) – एक विधिक प्रतिनिधि विधि में एक व्यक्ति है जो एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कोई भी शामिल है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, साथ ही वह व्यक्ति जिसे संपत्ति पक्षकार की मृत्यु पर हस्तांतरित होती है।

4. निम्नलिखित को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए –
(I) वादों का संस्थित किया जाना
(II) पूर्व न्याय
(III) विधिक प्रतिनिधि
(IV) गिरफ्तारी और निरोध
सही उत्तर चुनिए
Code-
(a) I, II, III & IV (b) I, III, II & IV
(c) II, I, III & IV (d) II, III, I & IV
[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 11, 26, 50, 55 CPC।
स्पष्टीकरण- धारा 11 प्राङ्न्याय से संबंधित है।
धारा 26 वाद के संस्थित करने से संबंधित है।
धारा 50 विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है।
धारा 55 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है।

5. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (13) के अंतर्गत 'जंगम सम्पत्ति में सम्मिलित है –
(a) उगते पेड़
(b) इमारतें
(c) उगती फसलें
(d) धन
[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(13) L/w धारा 19, O.20 R.10, O.21 R.12, 31, 43, 43A, 47, 74-81, O.26 R.10ग CPC।
स्पष्टीकरण- धारा 2(13) "जंगम संपत्ति" को परिभाषित करती है। यह प्रावधान करती है कि जंगम संपत्ति में उगती फसलें शामिल हैं।

6. सूची - 1 को सूची-I से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए -

सूची - 1		सूची - 2	
(A)	डिक्री का निष्पादन	1.	धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता
(B)	अनुरोध पत्र	2.	धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता
(C)	विधिक प्रतिनिधि	3.	धारा 77 सिविल प्रक्रिया संहिता
(D)	वाद का संस्थित करना	4.	धारा 38 सिविल प्रक्रिया संहिता

Code –
(a) A-1, B-2, C-4, D-3.
(b) A-2, B-4, C-1, D-3
(c) A-4 B-3 C-1, D-2
(d) A-3, B-4, C-1, D-2
[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 26, 38, 50, 77 CPC।
स्पष्टीकरण- धारा 26 वाद के संस्थित करने से संबंधित है।
धारा 38 डिक्री के निष्पादन से संबंधित है।
धारा 50 विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है।
धारा 77 अनुरोध पत्र से संबंधित है।

7. निम्नलिखित में से कौनसा एक सुमेलित नहीं है?
(a) धारा 2 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता - डिक्री
(b) धारा 2 (9) सिविल प्रक्रिया संहिता - निर्णय
(c) धारा 2 (13) सिविल प्रक्रिया संहिता - आदेश
(d) धारा 2(6) सिविल प्रक्रिया संहिता - विदेशी निर्णय
[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(13) L/w धारा 19, O.20 R.10, O.21 R.12, 31, 43, 43A, 47, 74-81, O.26 R.10ग CPC।
स्पष्टीकरण- धारा 2(13) "जंगम संपत्ति" को परिभाषित करती है। यह प्रावधान करती है कि जंगम संपत्ति में उगती फसलें शामिल हैं।

8. सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए

सूची - I		सूची - II	
(A)	न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा	1.	धारा 74 सिविल प्रक्रिया संहिता

Click Here to Buy Linking Publications

स्पष्टीकरण- धारा 2(2) "डिक्री" को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, डिक्री को निम्नलिखित आवश्यक बातों से समझा जा सकता है-

1. एक निर्णय;
2. किसी वाद में न्यायनिर्णयन अवश्य दिया गया होगा;
3. इसने वाद में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित किया होगा;
4. ऐसा निर्धारण निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए;
5. निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

डिक्री के प्रकार- सीपीसी निम्नलिखित तीन प्रकार के डिक्री को मान्यता देती है -

1. **प्रारंभिक डिक्री**- यह एक पूर्व चरण है। एक डिक्री को प्रारंभिक डिक्री के रूप में कहा जाता है जब वह वाद का पूरी तरह से स्थिरीकरण नहीं करती है।
2. **अंतिम डिक्री** - अंतिम डिक्री एक डिक्री है जो एक वाद का पूरी तरह से निपटारा करती है और पक्षों के बीच विवाद के सभी मामलों का निपटारा करती है।
3. **आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री**- सीपीसी के तहत पारित डिक्री आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है।

65. निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ राजस्व न्यायालयों की संहिता के अनुप्रयोग से संबंधित है?

(A) धारा 5 (B) धारा 2
(C) धारा 3 (D) धारा 4

[HPJS 2018]

Ans [A]

लिंकिंग प्रावधान धारा 5 l/w धारा 4(1), 43, 44 सीपीसी।

स्पष्टीकरण- धारा 5 राजस्व न्यायालयों में सीपीसी के आवेदन से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, "राजस्व न्यायालय" का अर्थ है कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व या लाभ से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए किसी स्थानीय विधि के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय, लेकिन इसमें ऐसे वादों या कार्यवाहियों को सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाही के रूप में विचार करने के लिए सीपीसी में मूल क्षेत्राधिकार रखने वाला सिविल न्यायालय शामिल नहीं है।

भाग : I
साधारणतः वाद के विषय में

66. सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा RES JUDICATA (प्राङ्न्याय) की संकल्पना से संबंधित है?

(A) धारा 10
(B) धारा 11
(C) धारा 12
(D) धारा 13.

[AIBE XVII -2023]

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 11 L/w धारा 9, 10, 12 CPC, 115 IEA, 300 CRPC, अनुच्छेद 20(2) COI।

स्पष्टीकरण - धारा 11 पूर्व न्याय से संबंधित है। Res-judicata का मतलब पहले से ही अधिनिर्णित या अधिनिर्णित या तय किया गया मामला है। यह न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर आधारित है। Res Judicata का सिद्धांत 3 सिद्धांतों पर आधारित है-

1. किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार तंग नहीं करना चाहिए।
2. यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।
3. एक न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

67. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है ?

विषयवस्तु सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएँ

(a) वाद का रोक दिया जाना 9
(b) पूर्व न्याय 11
(c) वादों का संस्थित किया जाना 13
(d) आगे वाद लाने से वर्जित 15

[UK PSC(J) 2023]

Ans [b]

स्पष्टीकरण:- निम्नलिखित वर्गों का सही मिलान है-

1. वादों पर रोक – धारा 10
2. वाद संस्थित करना – धारा 26।
3. आगे के वाद का वर्जन – धारा 12।

68. एक लैटिन मैक्सिम "Ut pendent Nihil Innovatur" अपना स्थान किस रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में पाती है?

(a) पूर्वन्याय
(b) इजसडेन जेनेरिस
(c) लिस पेन्डेन्स
(d) रेस इप्सा लोक्यूटर

[UK PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 52 – लंबित वाद ।

स्पष्टीकरण:- सिद्धांत एक लैटिन सूक्ति "यूट पेंडेंट निहिल इनोवेटूर" से लिया गया है जिसका अर्थ है कि मुकदमेबाजी के दौरान कुछ भी नहीं बदला जाना चाहिए।करेंगे जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ दायर की गई हैं।

69. रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है :

(a) केवल वादों पर
(b) केवल मध्यस्थता की कार्यवाही पर
(c) केवल निष्पादन कार्यवाही पर
(d) वादों और निष्पादन कार्यवाही, दोनों पर

[UK PSC(J) 2023]

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 47 – बाद के वादों पर रोक।
2. धारा 12 – आगे के वाद का वर्जन।

स्पष्टीकरण:- धारा 11, स्पष्टीकरण VII- रेस-जुडिकाटा (प्राङ् न्याय) के प्रावधान एक डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही पर लागू होते हैं। रेस ज्युडिकेटा (प्राङ् न्याय) पहले से ही न्यायनिर्णित या ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें निर्णय पहले से ही हो। रेस-जुडिकाटा (प्राङ् न्याय), वाद दायर करने पर रोक लगाता है ।

70. निम्नलिखित में कौन सा लैटिन शब्द 'रेस' का सही अर्थ है ?

(a) विषय या वस्तु
(b) विवाद्यक
(c) दावा
(d) उपचार

[UK PSC(J) 2023]

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 10 – रेस सब-ज्यूडिस (निर्णय के तहत)
2. धारा 11 – रेस ज्युडिकेटा (प्राङ् न्याय)

स्पष्टीकरण:- 'रेस' लैटिन में "बात" या "पदार्थ" के लिए है। सामान्य विधि में, यह किसी व्यक्ति के विपरीत किसी वस्तु, रुचि या स्थिति का उल्लेख कर सकता है। उदाहरण के लिए, रेस इप्सा लोक्यूटर (बात खुद के लिए बोलती है), रेस ज्युडिकेटा, या रेस जूरिसडीक्शन आदि ।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

ORDER I
वादों के पक्षकार

228. सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस आदेश में पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन का प्रावधान किया गया है ?
(a) आदेश 1 नियम 9
(c) आदेश 1 नियम 7
(b) आदेश 1 नियम 8
(d) आदेश 1 नियम 8A

[UK PSC(J) 2023]

Ans [a]
लिंकिंग प्रावधान:- आदेश 1, नियम 13 – असंयोजन या कुसंयोजन के रूप में आपत्तियां।
स्पष्टीकरण:- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 9 में कहा गया है कि कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण समाप्त नहीं होगा।

229. किसी एक मामले में जहाँ कि आदेश 1 के नियम 1 की शर्तें मौजूद नहीं हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति एक मुकदमे मे वादी के रूप में शामिल हो जाते हैं, जो उनका परिणाम होगा
(a) वादियों का संयोजन
(b) वादियों का कुसंयोजन
(c) प्रतिवादियों का संयोजन
(d) संयुक्त प्रतिज्ञाकर्त्ता

[UK PSC(J) 2023]

Ans. [b]
लिंकिंग प्रावधान:-
1. आदेश 1, नियम 9 – कुसंयोजन और असंयोजन।
2. आदेश 1, नियम 13 – असंयोजन या कुसंयोजन के रूप में आपत्तियां।
स्पष्टीकरण:- यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को क्रमशः आदेश I, नियम 1 और 3 के उल्लंघन में एक वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है और वे न तो आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार, यह पक्षकारों के कुसंयोजन का मामला है।

230. एक 10 फीट चौड़ाई वाली सार्वजनिक सड़क को प्रयोग करने का अधिकार अतिक्रमण के कारण प्रभावित है । 'A' वाद दायर करेगा :
(a) प्रतिनिधि मुकदमा ऑर्डर 1 नियम 8 की आवश्यकता है।
(b) प्रतिनिधि मुकदमा ऑर्डर 1 नियम 8 की आवश्यकता नहीं है।
(c) रिट क्षेत्राधिकार
(d) इनमें से कोई नहीं

[UK PSC(J) 2023]

Ans [b]

231. कोई वाद विफल हो सकता है:
(a) उचित पक्षकार के असंयोजन से
(b) आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन से
(c) आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से
(d) उचित पक्षकार के कुसंयोजन से

*[MPCJ 2018- I , CG PSC(J) 2017,*RJS 2016]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण - आदेश **1** नियम **1-3A** में पक्षकारों का संयोजन किया जाता है और यदि न्यायालय को लगे की वाद में उलझन या विलम्ब होगा तो पृथक विचारण का भी आदेश दे सकता है ।
Rule 1- वादियों का संयोजन।
Rule 2 - न्यायालय द्वारा पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति।
Rule 3 - प्रतिवादीयों का संयोजन।
Rule 3A - पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति।
असंयोजन:- पक्षकार बनाना जरूरी नहीं था पर बनाया गया।
कुसंयोजन:- पक्षकार बनाना चाहिए था पर नही बनाया गया ।
आवश्यक पक्ष:- जिसके बिना वाद आगे नहीं चल सकता था।
उचित पक्ष:- ऐसा पक्ष जो वाद में हो तो भी सही और ना हो तो भी ज्यादा फर्क ना पड़े।
नियम 9- यदि कोई आवश्यक पक्ष (neccessary party) का असंयोजन (non-joinder) तो वाद विफल हो जायेगा।

232. वाद के लम्बित रहने के दौरान एक प्रकरण में समनुदेशन अथवा किसी हित के न्यागमन के कारण एक पक्षकार जोड़ा अथवा प्रतिस्थापित किया गया है, ऐसे पक्षकार के सम्बन्ध में वाद संस्थित हुआ होना माना जायेगा:
(a) उस दिनांक को जब वाद संस्थित किया गया था
(b) जब उसे पक्षकार बनाया गया था
(c) उस दिनांक को जब जोड़ने अथवा प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

[RJS 2017]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण- परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 21 पक्षकारों को संयोजित करने व प्रतिस्थापित करने पर प्रभाव के बारे में बताती है- कोई पक्ष जोड़ा जाता है वहा उसके संबंध मे वाद उस दिन संस्थित किया गया माना जायेगा जब पक्षकार बना।
इसके दो अपवाद है-
1. न्यायालय का समाधान की ऐसा लोप सदभावना का परिणाम है।
2. जब पक्षकार समनुदेशन या न्यायगमन के कारण पक्षकार बना या एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 में पक्षकार जोड़े व प्रतिस्थापित किये जाते है।

233. सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है ?
(a) Order 1, Rule 1
(b) Order 2, Rule 2
(c) Order 1, Rule 9
(d) Order 1, Rule 8

[UK PCS(J) 2018, UK PCS(J) 2016]

Ans. [d]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 11 स्पष्टीकरण 6 -** पूर्व न्याय का नियम प्रतिनिधि वाद में भी लागु रहेगा।
2. **आदेश 7 नियम 4 -** जहाँ प्रतिनिधिवाद, वादपत्र में कथन किया जायेगा।
3. **आदेश 23 नियम 3ख स्पष्टीकरण -** 'प्रतिनिधि वाद' कौनसे होंगे।
5. **आदेश 23 नियम 3ख -** जहाँ प्रतिनिधि वाद में समझौता, तुष्टि, करार, वहा न्यायलय की अभिव्यक्त इजाजत के बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।
6. **आदेश 23 नियम 1 -** कोई परित्याग, प्रत्याहरण , करार, समझौता या तुष्टि सभी हितबध्द पक्षकारों को सूचना दिये बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - आदेश 1 नियम 8 - एक ही वाद में एक ही हित वहा न्यायलय की अनुज्ञा या निदेश से प्रतिनिधि वाद।

234. सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जहाँ एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है :
(a) कुसंयोजन का
(b) असंयोजन का
(c) उपरोक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

[UK PCS(J) 2019,UK PCS(J) 2018]

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

परिभाषा

1. परिभाषित करें -

(A) विधिक प्रतिनिधि

[UP PCS(J) 1988, RJS 1975, 1992, BJS 2011, HJS 2011,M.P. CJ 2018]

उत्तर- विधिक प्रतिनिधि को CPC, 1908 की धारा 2(11) के तहत परिभाषित किया गया है। यह वह व्यक्ति है जो विधि के अनुसार किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है और जहां कोई पक्ष वाद करता है या वाद करता है। एक प्रतिनिधि चरित्र में वह व्यक्ति जिस पर वाद करने या वाद करने वाले पक्ष की मृत्यु पर संपत्ति हस्तांतरित होती है।

निम्नलिखित को विधिक प्रतिनिधि माना जाता है- निष्पादक, प्रशासक, प्रत्यावर्तनकर्ता, हिंदू सहदायिक, अवशिष्ट वसीयतकर्ता, आदि। अतिक्रमणकर्ता, आधिकारिक समनुदेशक या प्राप्तकर्ता विधिक प्रतिनिधि नहीं है।

(B) अंत:कालीन लाभ

[RJS 1971, 1986, 1994, CGCJ 2003, DJS 2005, BJS 1975, 2014, 2006, HJS 2011, M.P. CJ 2018]

उत्तर- CPC की धारा 2(12) अंत:कालीन लाभ को उन लाभों के रूप में परिभाषित करती है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा करने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुए हैं या सामान्य परिश्रम से प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ। इसमें सदोष कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण होने वाला लाभ शामिल नहीं होगा। अंत:कालीन लाभ का दावा केवल स्थावर संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है।

(C) डिक्री

[RJS 1976, 1986, M.P. CJ 2004, BJS 2006, 2011, M.P. CJ 2018]

Or

"डिक्री" से क्या अभिप्रेत है?

[RJS 2021]

उत्तर- CPC की धारा 2(2) डिक्री को एक अधिनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो वाद में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। यह प्रारंभिक या अंतिम या आंशिक-प्रारंभिक या आंशिक-अंतिम हो सकता है।

इस धारा के अंतर्गत दो मान्य डिक्री हैं – आदेश 7, नियम 11 के तहत वादपत्र की नामंजूरी और धारा 144 के तहत किसी भी प्रश्न का निर्धारण। हालाँकि, डिक्री में कोई भी न्यायनिर्णयन शामिल नहीं होगा जिसमें किसी आदेश के विरुद्ध अपील के साथ-साथ व्यतिक्रम के लिए बर्खास्तगी के किसी भी आदेश के रूप में अपील की जा सकती है।

(D) आदेश

[M.P. CJ 2018]

उत्तर - संहिता की धारा 2(14) के तहत आदेश को सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो डिक्री नहीं है। कोई आदेश किसी वाद या अपील, आवेदन या याचिका से उत्पन्न हो सकता है। प्रारंभिक आदेश नहीं हो सकता। प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं है और केवल आदेश 43 के साथ धारा 104 के तहत उल्लिखित आदेश ही अपील योग्य हैं। एक आदेश आवश्यक रूप से पक्षकारों के वास्तविक अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं करता है। यह आकस्मिक या प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है।

3. प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के बीच अंतर बताएं और परिभाषित करें।

[UP PCS(J) 1992, 1987, BJS 1986]

उत्तर -

प्रारंभिक डिक्री	अंतिम डिक्री
किसी वाद में सभी मामलों का निर्णायक रूप से निर्णय नहीं करता बल्कि केवल कुछ मामलों का ही निपटारा करता है। यह प्रथम चरण की डिक्री है, जिसमें वाद को पूरी तरह से हल करने के लिए आगे की कार्यवाही की आवश्यकता होती है।	**अंतिम डिक्री** वह होती है जो सभी विवाद्यकों का निर्धारण करके और पक्षों को अंतिम राहत देकर वाद का पूर्ण और अंतिम निपटान करती है।
उदाहरण: विभाजन के वादों में आदेश, साझेदारी का विघटन, या सम्पदा का प्रशासन।	उदाहरण, निपटान के बाद अधिकारों का निष्पादन या प्रवर्तन।
अंतिम डिक्री का पालन किए बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता।	न्यायालय द्वारा निष्पादित एवं प्रवर्तित किया जा सकता है।

4. डिक्री और आदेश के बीच अंतर करें।

[M.P. CJ 2009, UP PCS(J) 1991, BJS 1987]

उत्तर -

डिक्री	आदेश
संहिता की धारा 2(2) डिक्री को परिभाषित करती है क्योंकि डिक्री एक न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो किसी वाद में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। इसे एक वाद में पारित	धारा 2(14) एक आदेश को एक सिविल न्यायालय के निर्णय की किसी भी औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो डिक्री की श्रेणी में नहीं आती है।

Click Here to Buy Linking Publications

15 निम्नलिखित के अर्थ समझाइए :

(i) अंत:कालीन लाभ (ii) अकिंचन व्यक्ति

[BJS 2021]

(i) अंत:कालीन लाभ

उत्तर - भारत में CPC की धारा 2(12) के तहत अंत:कालीन लाभ को उन लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसी संपत्ति के सदोष कब्जे वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुए हैं या सामान्य परिश्रम से प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ, लेकिन नहीं इसमें सदोष कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण होने वाला मुनाफा शामिल है।"

न्यायालय विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर अंत:कालीन लाभ की मात्रा निर्धारित करती है, जिसमें शामिल हैं:

1. न्यायालय उस लाभ का आकलन करती है जो सदोष कब्जे वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुआ या प्राप्त हो सकता था यदि उन्होंने उचित परिश्रम किया होता। गणना में सदोष स्वामी द्वारा किए गए किसी भी सुधार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
2. अंत:कालीन लाभ की गणना आम तौर पर सदोष कब्जे की अवधि के दौरान संपत्ति के बाजार किराये के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसमें किराए की उचित बाजार दर या संपत्ति से वास्तविक कमाई का निर्धारण शामिल है।
3. न्यूनतम लाभ पर ब्याज दिया जा सकता है। न्यायालय आमतौर पर सदोष कब्जे की तारीख से लेकर सही मालिक को कब्जा वापस मिलने तक उचित ब्याज दर निर्धारित करती हैं।
4. न्यायालय उस सटीक अवधि पर विचार करेगी जिसके दौरान असली मालिक को कब्जे से वंचित किया गया था।
5. सदोष मालिक का सद्भावना का दावा या संपत्ति में किए गए किसी भी सुधार से उन्हें अर्जित लाभ को बनाए रखने का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे सुधारों के कारण होने वाले लाभ को बाहर रखा जाता है।
6. यदि संपत्ति आय अर्जित करने में सक्षम थी या लाभप्रद रूप से उपयोग की जा रही थी, तो उस संभावित आय को गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

सरूप सिंह गुप्ता बनाम एस. जगदीश सिंह और अन्य (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंत:कालीन लाभ वह लाभ या लाभ है जो किसी व्यक्ति ने सदोष कब्जे के दौरान प्राप्त किया है, और यह बाजार किराये के मूल्य पर आधारित होना चाहिए।

(ii) अकिंचन व्यक्ति

उत्तर - CPC का आदेश XXXIII विशेष रूप से अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वादों से संबंधित है और न्यायालयी शुल्क का भुगतान किए बिना वाद दायर करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। आदेश XXXIII के नियम 1 के स्पष्टीकरण I के तहत, एक अकिंचन व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो:

- उस वाद को, जिसे वे दायर करना चाहते हैं, उसके लिए विधि द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।
- यदि व्यक्ति गरीबी के कारण शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें अकिंचन की श्रेणी में रखा जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसके नाम पर कोई संपत्ति न हो तो उसे भी अकिंचन माना जाएगा।

यह निर्धारित करने में कि कोई व्यक्ति अकिंचन के रूप में योग्य है या नहीं, न्यायालय कुछ संपत्तियों को विचार से बाहर कर देगा, जैसे:

- आवश्यक परिधान पहनना।
- कारीगरों के उपकरण।
- विद्वानों की पुस्तकें।
- दैनिक जीवन के लिए आवश्यक घरेलू प्रभाव।

Sample Preview

Part I - JURISDICTION OF CIVIL COURTS

1. सिविल न्यायालय की अधिकारिता से क्या आशय है ?

[RJS 1992, 1999]

उत्तर - सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिविल विवादों को सुनने और निर्णय लेने और निर्णय पारित करने के लिए न्यायालय को दिए गए अधिकार या शक्ति को संदर्भित करता है। क्षेत्राधिकार विवाद की विषय वस्तु, क्षेत्रीय सीमा और इसमें शामिल आर्थिक मूल्य जैसे कारकों के आधार पर किसी मामले के विचारण के लिए किसी विशेष न्यायालय की क्षमता निर्धारित करता है।

CPC की धारा 9 सामान्य सिद्धांत स्थापित करती है कि सिविल न्यायालयों के पास सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन वादों को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से विधि द्वारा वर्जित हैं।

CPC के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रकार:

1. विषय वस्तु क्षेत्राधिकार (धारा 9): यह एक विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय के अधिकार को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, सिविल न्यायालय सिविल विवादों को संभालता हैं, जबकि उपभोक्ता न्यायालयों जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरण उपभोक्ता विवादों को संभालते हैं।
2. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (धारा 16-20): यह उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर एक न्यायालय को मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, मुंबई में स्थित संपत्ति पर विवाद की सुनवाई मुंबई की न्यायालयों में की जाएगी।

Click Here to Buy Linking Publications

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

साक्षात्कार प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

1. सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किन न्यायालयों के लिए हैं ?
Ans. इस संहिता के प्रावधानों को नागरिक क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए बनाया और लागू किया गया है।

2. इस संहिता से पहले कौन सी संहिता लागू थी?
Ans. इस संहिता से पहले, नागरिक संहिता 1859 लागू थी, जिसे 1877 और 1882 में संशोधित किया गया था।

3. कब सी.पी.सी. लागू किया गया था?
Ans. भारत में यह संहिता 1 जनवरी, 1909 से लागू है।

4. C.P.C में दो संशोधन किए गए। संशोधन अधिनियम का नाम बताएं?
Ans. (1) नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999।
(2) नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002।

5. पर्याप्त कानून किसे कहते हैं ?
Ans. मूल कानून वह है जो अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है और मानव व्यवहार और उनके संबंधों को परिभाषित करता है।

6. प्रक्रियात्मक कानून क्या है?
Ans. प्रक्रियात्मक कानून वह कानून है जो मूल कानून द्वारा कुछ अधिकारों और दायित्वों से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय के उपयोग की प्रक्रिया तय करता है।

7. प्लीडर कौन होता है ?.
Ans. किसी अन्य व्यक्ति (सिविल मामलों में) के लिए उपस्थित होने और पैरवी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को प्लीडर कहा जाता है।

8. वकील और अधिवक्ता में क्या अंतर है?
Ans. एक व्यक्ति जिसके पास एलएल.बी. डिग्री, उसे एक वकील कहा जाता है जबकि वकील ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास कर ली है और फिर स्टेट बार काउंसिल में नामांकित हो गया है, उसे एक अधिवक्ता कहा जाता है। वह अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता है।

9. क्या राजस्व न्यायालय को CPC में कहीं परिभाषित किया गया है?
Ans. हाँ सर, धारा 5 (2) के अनुसार, एक अदालत जिसके पास कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का लाभ है।

10. क्या CPC के प्रावधान राजस्व न्यायालयों पर लागू होंगे
Ans. जी सर, जब उस विषय पर राजस्व कानून मौन है।

11. अधिकार क्षेत्र क्या है?
Ans. यह वह अधिकार है जिसके द्वारा न्यायालय को किसी भी वाद, अपील या आवेदन को स्वीकार करने और सुनवाई के बाद निर्णय देने का अधिकार है।

12. मूल/प्राथमिक क्षेत्राधिकार क्या है?
Ans. प्राथमिक क्षेत्राधिकार किसी भी मुकदमे, आवेदन या अन्य कानूनी कार्यवाही को पहले स्वीकार करने और तय करने की शक्ति देता है।

13. अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है?
Ans. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील या आपत्ति को स्वीकार करने और निर्णय लेने की शक्ति को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है।

14. क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होगा?
Ans. नहीं सर।

15. क्या पूर्व न्याय सह-वादी और सह-प्रतिवादी पर लागू होगा?
Ans. सर, यह तब लागू होगा जब हित परस्पर विरोधी हों और ऐसे हित पर निर्णय देना आवश्यक हो।

16. औपचारिक प्रतिवादी कौन है?
Ans. एक औपचारिक प्रतिवादी वह है, जिसे अदालत मुकदमे में संकलित करती है ताकि एक प्रश्न का प्रभावी ढंग से निपटारा किया जा सके।

17. क्या मध्यवर्ती आदेशों को संशोधित किया जा सकता है?
Ans. नहीं सर

18. अनुपूरक कार्यवाही क्या है ?
Ans. मुकदमा कायम होने के बाद न्याय के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए।

19. अनुपूरक कार्यवाही के कुछ उदाहरण दीजिए
Ans. (i) फैसले से पहले गिरफ्तारी और कुर्की (आदेश 38)
(ii) अस्थायी निषेधाज्ञा (आदेश 39)
(iii) प्राप्तकर्ता की नियुक्ति (आदेश 40)
(iv) वादकालीन आदेश (आदेश 39)

20. न्यायालय को निहित शक्ति क्यों दी जाती है?
Ans. नागरिक मुकदमेबाजी के दौरान उत्पन्न होने वाली ऐसी समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए या यदि कोई पक्ष प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और उसके लिए संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

21. धारा 148 (ए) (कैविएट) का उद्देश्य क्या है?
Ans. एक पक्षीय आदेश पारित करने पर रोक।

22. आयोग क्या है?
Ans. न्यायालय द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति जिसे पार्टियों द्वारा बाद में किसी भी समय परीक्षा आयोजित करने या किसी स्थानीय निरीक्षण आदि के लिए नियुक्त किया जाता है।

23. उचित पक्ष किसे कहा जाता है ?
Ans. एक उचित पक्ष वह है जिसकी मामले में उपस्थिति को अदालत द्वारा प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय लेने और सूट में शामिल सभी प्रश्नों को निपटाने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

24. CPC की कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान करती है?
Ans. सर, धारा 89.

25. CPC की धारा 80 के तहत नोटिस का क्या मतलब है?
Ans. जब भी सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना है, तो मुकदमा दायर करने से दो महीने पहले नोटिस देना जरूरी है।

26. नोटिस क्यों दिया जाता है ?
Ans. सर, ताकि सरकार या लोक प्राधिकरण को मामले को अदालत के बाहर सुलझाए जाने का अवसर मिल सके ।

27. शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं ?
Ans. शपथपत्र स्वयं शपथ लेने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया एक लिखित कथन होता है, जो इस कार्य के लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ईश्वर पर विश्वास करके और उसका साक्षी होकर दिया जाता है। (आदेश 19 नियम 3)।

29. क्या अपील में नए आधार लिए जा सकते हैं ?

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

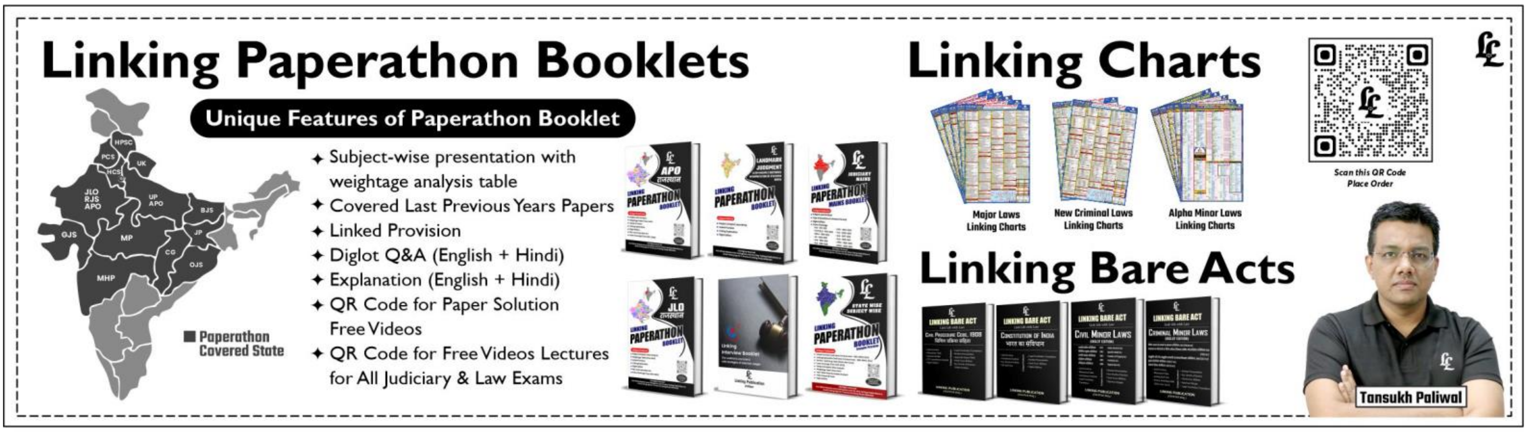

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications